GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.348
TO BE ANSWERED ON THE 5TH APRIL, 2022

INCIDENTS OF CORRUPT PRACTICES IN THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENTS

348 # SHRI NEERAJ DANGI:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

(a) whether it has come to notice about the incidents of corrupt practices in the purchase of medical equipments in various Government run hospitals in the country;

(b) if so, the number of such cases which have been noticed during the last three years and the details thereof, State-wise and

(c) the steps taken by Government to prevent such incidents?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 348* FOR 5TH APRIL, 2022

(a) and (b): Health being a state subject, it is the primary responsibility of State / Union Territory (UT) Governments to be vigilant against corrupt practices if any, in the purchase of medical equipments in their healthcare facilities. No incident from central hospitals has been reported during last three years regarding corruption in procurement of medical equipments.

(c): Ministry/procuring entities under the Ministry strictly follow the provisions of General Financial Rules (GFR) 2017, guidelines of Central Vigilance Commission (CVC) and also adhere to the guidelines available in the Manual for Procurement of Goods 2017 issued by the Ministry of Finance. Procurement is done through Government e-Marketplace (GeM) as per Rule 149 of GFR, 2017. In case products are not available on GeM, tenders are invited through Central Public Procurement (CPP) Portal for e-Procurement in a transparent manner. Adherence to the rules and procurement through GeM/ CPP Portal has laid very transparent system of procurement.

*****

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 348
05 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्ट आचरण की घटनाएं

***348. श्री नीरज डांगीः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्ट आचरण की घटनाएं सामने आई हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले संज्ञान में आए हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

05 अप्रैल, 2022 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 348 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे अपने स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों में चिकित्सा उपस्करों की खरीद में अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तौर-तरीकों, यदि कोई हो, के विरुद्ध सतर्क रहें। केंद्र के अस्पतालों में चिकित्सा उपस्करों के प्रापण में भ्रष्टाचार को लेकर विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग): मंत्रालय/ मंत्रालय के अधीन प्रापणकर्ता निकाय सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के उपबंधों, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुकरण करते हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'वस्तुओं के प्रापण हेतु नियम पुस्तिका 2017' में दिए गए दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करते हैं। जीएफआर, 2017 के नियम 149 के अनुसार प्रापण सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से किया जाता है। यदि उत्पाद जीईएम पर उपलब्ध नहीं है, तो ई-प्रापण के लिए केंद्रीय लोक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। नियमों के अनुपालन और जीईएम/ सीपीपी पोर्टल के जरिए प्रापण करने से प्रापण की बहुत ही पारदर्शी प्रणाली तैयार हुई है।

*****

श्री नीरज डांगी : उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पहला सप्लीमेंटरी सवाल यह है कि देश में बाज़ारों में, खुले में मिलने वाली नकली दवाओं पर बीते दो वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? इन दवाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं?

डा. भारती प्रवीण पवार : सर, यह सवाल corrupt practices in the purchase of medical equipments से जुड़ा हुआ है। आदरणीय सांसद महोदय ने procurement of drugs के बारे में सवाल पूछा है। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मेन एजेन्सी, जो drugs procure करती है, यह या तो CMSS के माध्यम से होता है या CGHS के माध्यम से होता है या जन औषधि केंद्र के माध्यम से होता है। सर, दवाइयों का procurement transparent mode पर होता है। उसमें टेक्निकल कमेटी भी रहती है, जो इसे देखती है। दवाइयों की खरीद transparent mode पर होती है, लेकिन फिर आपने पूछा कि क्या आपके पास कुछ गलत दवाइयों का विवरण है? अगर यह है, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगी, लेकिन यह सवाल equipments के संबंध में है, जो कि specific था।

श्री नीरज डांगी : सर, बाजार में दवाएं तो नकली मिल ही रही हैं, इसके संबंध में हम लोग ध्यान दें और सरकार भी अपने लेवल पर इसके बारे में जानकारी ले। सर, मेरा दूसरा सप्लिमेंटरी क्वेश्चन यह है कि क्या भारत सरकार आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण की स्थापना हेतु स्वीकृति एवं धनराशि जारी करने पर विचार रखती है?

डा. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहती हूं कि कोविड काल में, ऐसे बहुत सारे crises के टाइम, चाहे वह मेडिकल का equipment हो या फिर हमें वैक्सीन के संबंध में emergency में कुछ खरीदना हो, ऐसी सभी व्यवस्थाएं तुरंत करवाई गईं। इसके लिए कुछ कमेटीज़ बनीं, कुछ expert groups बने और उनके माध्यम से standards को देखते हुए कि standards maintain हों और international level के भी standards मेन्टेन हों, इसके लिए धनराशि भी आवंटित की गई है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को भी धन्यवाद देती हूं कि लगातार इस कोविड काल में किसी भी सुविधा में कमी न हो, इसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं, जो कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सफल हुए हैं।

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether she knows that the * has written to all DMOs and to all the Field Officers, stating that the Health Department of Kerala is the most corrupt Department.

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...Don't mention the name. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, this is a question on health and on corruption. ...*(Interruptions)*... If it has not been brought to the notice of the Minister, will she take action, if it is brought to her notice?

डा. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय उपसभापति महोदय, करप्शन को लेकर सवाल उठा है, तो मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो central procurements होते हैं, वे central agency के तहत देखे भी जाते हैं और मॉनिटर भी किए जाते हैं तथा उनमें एक्शन भी लिए जाते हैं।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, ...*(Interruptions)*... Sir, ...*(Interruptions)*...

डा. भारती प्रवीण पवार : स्टेट के जो procurements होते हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। आदरणीय सांसद महोदय ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, अगर गलत काम हुए हैं, तो इन पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट जरूर ध्यान देगी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में यह है कि no incident from Central hospitals has been reported during the last three years, तो मुझे लगता है कि यह स्टेट का इश्यू है, तो .....**(व्यवधान)**...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, ...*(Interruptions)*... Sir, ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : जैसा माननीय चेयरमैन ने कहा है कि किसी स्टेट के बारे में particularly कोई allegation न लगाएं। ......**(व्यवधान)**... ... प्रो. मनोज कुमार झा।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha. ...*(Interruptions)*... I have already told you. ...*(Interruptions)*... Let him put his question. ...*(Interruptions)*... मैंने आपकी बात कह दी है, अब आप उनको मौका दीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा : शुक्रिया उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य का सवाल है, तो एक बहुत गंभीर चिंता देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही है। खास कर CGHS के जो beneficiaries हैं, जो छोटे शहरों में हैं, वहां empanelment का इश्यू है, रेट का इश्यू है और चूंकि प्रश्न संबंधित नहीं था, लेकिन आप दोनों विशाल हृदय के हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए।

डा. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सासंद मनोज जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने CGHS का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है कि empanelment बढ़ना चाहिए। इस पर हमारा विचार चल रहा है और CGHS के सेंटर्स लगातार खुल भी रहे हैं, लेकिन उसके भी कुछ criteria होते हैं कि जितने एरियाज़ में हमारे beneficiaries हैं, उनकी कुछ संख्या होती है, जिनके आधार पर इन सेंटर्स को मंजूरी मिलती है। Last week आदरणीय कैबिनेट मंत्री मनसुख भाई ने भी इस पर विवरण दिया था। आदरणीय सांसद महोदय को मैं यह जरूर कहूंगी कि अगर आपके क्षेत्र में वह संख्या है और अगर CGHS सेंटर की डिमांड है, तो हम इस पर जरूर काम करेंगे।

DR. FAUZIA KHAN: I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, whether the Government is aware about the damage caused by the unchecked presence of health service online aggregators pushing aggressively for tests, surgeries, for healthcare services without any medical requirement or prescription. If yes, is the Government considering to stop direct consumer advertising as suggested by the Consumer Drug Advocacy Groups of All-India Drug Action Network?

डा. भारती प्रवीण पवार : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्या डा. फौजिया खान जी ने जो सवाल उठाया है, वह स्पेसिफिक कंज्यूमर के बारे में है, जो कि online advertisements से जुड़ा है। मुझे लगता है कि इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी लेकर मैं जरूर सांसद महोदया को अवगत कराऊंगी। फिर भी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर Clinical Establishments Act के तहत कुछ prescriptions की प्रॉब्लम्स हैं या शिकायतें हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट Clinical Establishments Act के तहत उन हॉस्पिटल्स के through action ले सकती हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No.349, Shri Shaktisinh Gohil.